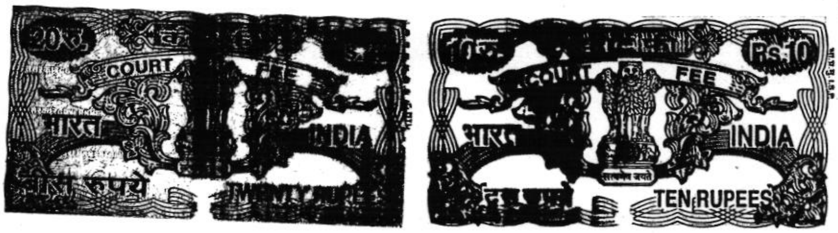

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग-2020-I-16

प्रभाकर पुत्र विशम्भरदयाल, निवासी ग्राम गाता परगना मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.) --आवेदक

विरुद्ध

1. कैलाशनारायण,
2. रामकुमार पुत्रगण विघारा,
3. रामानारायण पुत्र अजुदी, समस्त निवासीगण ग्राम गाता परगाना मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

--अनावेदकगण

श्री अमित भार्गव एड.
द्वारा आज दि. 24-6-16 को
प्रस्तुत
24-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

A. Bhargava 24-6-16
अमित भार्गव (अधि०)

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/2015-16/नि.मा. में पारित आदेश दिनांक 20/06/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम गाता में स्थित भूमि बंदोस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 979 करबा 1.735 हे. आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19/09/86 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तदानुसार आवेदक अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि पर आधिपत्यधारी चला आ रहा है। बंदोबस्त के दौरान पुराने सर्वे क्रमांक 779 से नये सर्वे क्रमांक 603 रकबा 0.86 हे. एवं सर्वे क्रमांक 604 रकबा 0.90 हे. निर्मित किये गये थे।

2. यहकि, नया सर्वे क्रमांक 603 रकबा 0.86 हे. आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी एवं है। बंदोबस्त के दौरान सर्वे क्रमांक 604 आवेदक के नाम एवं सर्वे क्रमांक 603 पर अनावेदकगण के नाम गलत रूप से इंद्राज कर दिया गया है।

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2020-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी.एम. गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	